



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 765]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 3, 2004/भाद्र 12, 1926

No. 765]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 3, 2004/BHADRA 12, 1926

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2004

का.आ. 981(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) (दो सौ पचहत्तरवां संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में,—

(1) प्रथम अनुसूची में,—

(क) “22क. अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय” शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:—

“22क. प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय”;

(ख) “29. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय” शीर्षक का लोप किया जाएगा;

(ग) “32. पोत परिवहन मंत्रालय” शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक और उपशीर्षक रखे जाएंगे, अर्थात्:—

“32. पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(i) पोत परिवहन विभाग।

(ii) सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग।”;

(2) द्वितीय अनुसूची में,—

(क) “वित्त मंत्रालय” शीर्षक के अंतर्गत, “क. आर्थिक कार्य विभाग” उप-शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 42 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

“42. लघु बचतें, जिनके अंतर्गत राष्ट्रीय बचत संस्थान का प्रशासन भी है।”;

(ख) “अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय” शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:—

“प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय”;

(ग) “सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय” शीर्षक और तत्संबंधी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(घ) “पोत परिवहन मंत्रालय” शीर्षक और तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक, उप-शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय”

क. पोत परिवहन विभाग

I भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I के भीतर आने वाले निम्नलिखित विषय:

1. समुद्री पोत परिवहन और नौपरिवहन; वाणिज्यिक समुद्री बेड़े के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था।

2. दीपस्तम्भ और दीपपोत।

3. भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) और महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) और महापत्तन के रूप में घोषित पत्तनों का प्रशासन।

4. पोत परिवहन और नौपरिवहन, जिसके अंतर्गत ऐसे अंतर्देशीय जल मार्गों पर यात्रियों और माल का वहन है, जो संसद द्वारा

विधि द्वारा यंत्रनोदित जलयानों के विषय में राष्ट्रीय जलपथ घोषित किए गए हैं, ऐसे जलमार्गों पर मार्ग-नियम।

5. पोत-निर्माण और पोत-सुधार उद्योग।
6. मत्स्य ग्रहण जलयान उद्योग।
7. प्लवमान-यान उद्योग।

II संघ राज्य क्षेत्रों की बाबत:

8. अंतर्देशीय जलमार्ग और उन पर यातायात।

III अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में:

9. मुख्यभूमि द्वीपों और द्वीप समूह के बीच पोत परिवहन सेवाओं का गठन और अनुरक्षण।

IV अन्य विषय जिन्हें पूर्ववर्ती भागों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है :

10. अंतर्देशीय जलमार्गों पर यंत्रनोदित जलयान विषयक पोत परिवहन और नौपरिवहन तथा अंतर्देशीय जलमार्गों पर यात्रियों और माल के वहन के संबंध में विधायन।
11. लघु और महापत्तनों के विकास के समन्वय और उससे संबंधित विधायन।
12. डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) स्कीम, 1961 से धिन, डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) तथा उसके अधीन बनाई गई स्कीम का प्रशासन।
13. फ्री ऑन बोर्ड/फ्री अलॉग साईट पर कार्गो के आयात तथा लागत एवं भाड़ा/लागत बीमा एवं भाड़ा आधार पर निर्यात के संबंध में भारत सरकार/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/राज्य सरकारों/राज्य सरकारों के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों तथा स्वशासी निकायों के लिए और उनकी ओर से पोत परिवहन का प्रबंध करना।

14. अंतर्देशीय जल परिवहन की योजना।

15. पत्तनों, पोत परिवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों के अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में निर्जीकरण विषयक नीति बनाना।

16. गांधीधाम नगरी का विकास।

17. प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण:

(क) पत्तन क्षेत्रों सहित, पोतों, पोत अवशेषों तथा समुद्र में अपसर्जित पोतों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण;

(ख) पोतों से उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण, निवारण तथा निबटान से संबंधित विधान का अधिनियमन तथा प्रशासन; और

(ग) पत्तन क्षेत्रों में तेल प्रदूषण की मानीटरी तथा उससे निपटना।

V अधीनस्थ कार्यालय :

18. पोत परिवहन महानिदेशालय।
19. अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म।
20. दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय।

21. लघु पत्तन सर्वेक्षण संगठन।

VI स्वशासी निकाय :

22. महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण (टी. ए. एम. पी.)।
23. मुंबई, कलकत्ता, कोच्चि, कांडला, चेन्नई, मोरमुगाव, जवाहर लाल नेहरू (न्हावा शेवा), पारादीप, तृतीकोरिन, विशाखापट्टनम और न्यू मंगलौर स्थित पत्तन न्यास।
24. कोलकाता, कांडला और विशाखापट्टनम स्थित गोदी श्रम बोर्ड।
25. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण।
26. नाविक भविष्य निधि संगठन।

VII सोसाइटियां/संगम :

27. राष्ट्रीय पत्तन प्रबंध संस्थान।
28. राष्ट्रीय पोत डिजाइन और अनुसंधान केन्द्र।
29. समुद्री यात्री कल्याण निधि सोसाइटी।

VIII पब्लिक सेक्टर उपक्रम :

30. शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया।
31. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.।
32. कोचीन शिपयार्ड लि.।
33. सेंट्रल इन्लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लि.।
34. ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया।
35. हुगली डॉक एंड पोर्ट्स इंजीनियर्स लिमिटेड।
36. एन्नोर पोर्ट लिमिटेड।

IX अंतर्राष्ट्रीय पहलू :

37. अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन।

X अधिनियम :

38. भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15)।
39. अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1)।
40. डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9)।
41. वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44)।
42. महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38)।
43. नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 (1966 का 4)।
44. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82)।
45. बहु-रूपी निर्वासन माल अधिनियम, 1993 (1993 का 23)।

ख. सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग

I निम्नलिखित विषय, जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की प्रथम सूची में आते हैं :

1. मोटर वाहनों का अनिवार्य बीमा।
2. सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) का प्रशासन।

3. संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किए गए राजमार्ग।
- II संघ राज्य क्षेत्रों की बाबत :**
4. राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न मार्ग।
5. मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) का प्रशासन और मोटर यानों का कराधान।
6. यंत्रनोदित यानों से भिन्न यान।
- III अन्य विषय, जिन्हें पिछले भागों में शामिल नहीं किया गया है :**
7. केन्द्रीय सड़क निधि।
8. सड़क संकर्मों से संबंधित समन्वय और अनुसंधान।
9. केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः अथवा अंशतः वित्तपोषित सड़क संकर्म, जिनके अंतर्गत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में किए जाने वाले सड़क संकर्म नहीं हैं।
10. मोटर यान विधायन।
11. मोटर परिवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन के क्षेत्र में परिवहन सहकारिताओं का संवर्धन।
12. सड़कों के अवसंरचना वाले क्षेत्रों में निजीकरण नीति का बनाया जाना।
- IV स्वशासी निकाय :**
13. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण।
- V सोसाइटियां/संगम :**
14. राष्ट्रीय राजमार्ग इंजीनियर प्रशिक्षण संस्थान।
- VI पब्लिक सेक्टर उपक्रम :**
15. भारतीय सड़क निर्माण निगम।
- VII अधिनियम :**
16. सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64)।
17. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48)।
18. मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59)।
19. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68)।

आ. प. जै. अब्दुल कलाम
राष्ट्रपति।

[फा. सं. 1/22/1/2004-कैब.]

के. एल. शर्मा, उप सचिव

**CABINET SECRETARIAT
NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd September, 2004

S.O. 981 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

- (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and seventy-fifth Amendment) Rules, 2004.
- (2) They shall come into force at once.
- In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—

(1) In the First Schedule,—

- (a) for the heading “22A. Ministry of Non Resident Indian Affairs (Anivasi Bhartiya Karya Mantralaya)”, the following heading shall be substituted, namely:—

“22A. Ministry of Overseas Indian Affairs (Pravasi Bhartiya Karya Mantralaya)”;

- (b) the heading “29. Ministry of Road Transport and Highways (Sadak Parivahan Aur Raj Marg Mantralaya)” shall be deleted;

- (c) for the heading “32. Ministry of Shipping (Pot Parivahan Mantralaya)”, the following heading and sub-headings shall be substituted, namely:—

“32 Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Pot Parivahan, Sarak Parivahan Aur Raj Marg Mantralaya)

(i) Department of Shipping (Pot Parivahan Vibhag)

(ii) Department of Road Transport and Highways (Sadak Parivahan Aur Raj Marg Vibhag);

(2) In the Second Schedule,—

(A) under the heading “Ministry of Finance (Vitta Mantralaya)”, under the sub-heading “A Department of Economic Affairs (Arthik Karya Vibhag)”, for the entry 42, the following entry shall be substituted, namely:—

“42. Small Savings, including the administration of the National Savings Institute.”

(B) for the heading “Ministry of Non Resident Indian Affairs (Anivasi Bhartiya Karya Mantralaya)”, the following heading shall be substituted, namely:

“Ministry of Overseas Indian Affairs (Pravasi Bhartiya Karya Mantralaya)”;

(C) the heading “Ministry of Road Transport and Highways (Sadak Parivahan Aur Raj Marg Mantralaya)” and entries relating thereto, shall be deleted;

(D) for the heading “Ministry of Shipping (Pot Parivahan Mantralaya)” and entries relating thereto, the following heading, sub-heading and entries shall be substituted, namely:—

“Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Pot Parivahan, Sadak Parivahan Aur Raj Marg Mantralaya)

A. Department of Shipping (Pot Parivahan Vibhag)

I The following subjects which fall within List 1 of the seventh schedule to the Constitution of India:—

- Maritime shipping and navigation; provision of education and training for the mercantile marine.
- Lighthouses and lightships.
- Administration of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) and the Major Port Trusts Act, 1963

- (38 of 1963) and ports declared as Major ports.
4. Shipping and navigation including carriage of passengers and goods on inland waterways declared by Parliament by law to be National waterways as regards mechanically propelled vessels, the rule of the road on such waterways.
 5. Ship-building and ship-repair industry.
 6. Fishing vessels industry.
 7. Floating craft industry.
- II In respect of the Union Territories :**
8. In land waterways and traffic thereon.
- III In respect of the union Territories of the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep :**
9. Organisation and maintenance of mainland Island and inter-Island Shipping services.
- IV Other subjects which have not been included under the previous parts :**
10. Legislation relating to shipping and navigation on inland waterways as regards mechanically propelled vessels and the carriage of passengers and goods on inland waterways.
 11. Legislation relating to and coordination of the development of minor and major ports.
 12. Administration of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) and the Schemes framed thereunder other than the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Scheme, 1961.
 13. To make Shipping arrangements for and on behalf of the Government of India/ Public Sector Undertakings/ State Governments /State Government Public Sector Undertakings and autonomous bodies in respect of import of cargo on Free on Board/Free along Site and Export on Cost and Freight/Cost Insurance and Freight basis.
 14. Planning of Inland Water Transport.
 15. Formulation of the privatisation policy in the infrastructure areas of ports, shipping and Inland waterways.
 16. The Development of township of Gandhidham.
 17. Prevention and control of pollution :
 - (a) prevention and control of pollution arising from ships, shipwrecks and abandoned ships in the sea, including the port areas;
 - (b) enactment and administration of legislation related to prevention, control and combating of pollution arising from ships; and
 - (c) monitoring and combating of oil pollution in the port areas.
- V. SUBORDINATE OFFICES :**
18. Directorate General of Shipping.
 19. Andaman Lakshadweep Harbour Works.
 20. Directorate General of Lighthouses and Lightships.
 21. Minor Ports Survey Organisation.
- VI. AUTONOMOUS BODIES :**
22. Tariff Authority for Major Ports (TAMP)
 23. Port Trusts at Mumbai, Kolkata, Kochi, Kandla, Chennai, Mormugao, Jawahar Lal Nehru (Nhava Sheva), Paradip, Tuticorin, Visakhapatnam and New Mangalore.
 24. Dock Labour Boards, at Kolkata, Kandla and Visakhapatnam.
 25. Inland Waterways Authority of India.
 26. Seamen's Provident Fund Organisation.
- VII. SOCIETIES/ASSOCIATIONS :**
27. National Institute of Port Management.
 28. National Ship Design and Research Centre.
 29. Seafarers Welfare Fund Society.
- VIII. PUBLIC SECTOR UNDERTAKING :**
30. Shipping Corporation of India.
 31. Hindustan Shipyard Limited.
 32. Cochin Shipyard Limited.
 33. Central Inland Water Transport Corporation Limited.
 34. Dredging Corporation of India.
 35. Hooghly Dock and Ports Engineers Limited.
 36. Ennore Port Limited.
- IX. INTERNATIONAL ASPECTS :**
37. International Maritime Organisation.
- X. ACTS :**
38. The Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908)
 39. The Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917)
 40. The Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948).
 41. The Merchant Shipping act, 1958 (44 of 1958).
 42. The Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963).
 43. The Seamen's Provident Fund Act, 1966 (4 of 1966).
 44. The Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985).
 45. The Multimodal Transportation of Goods Act, 1993 (28 of 1993).

B. DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (SADAK PARIVAHAN AUR RAJ MARGVIBHAG)

I THE FOLLOWING SUBJECTS WHICH FALL WITHIN LIST 1 OF THE SEVENTH SCHEDULE TO THE CONSTITUTION OF INDIA:

1. Compulsory insurance of motor vehicles.
2. Administration of the Road Transport Corporations Act, 1950 (64 of 1950)
3. Highways declared by or under law made by Parliament to be National Highways.

II IN RESPECT OF THE UNION TERRITORIES:

4. Roads other than National Highways.
5. Administration of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and taxation of motor vehicles.
6. Vehicles other than mechanically propelled vehicles.

III OTHER SUBJECTS WHICH HAVE NOT BEEN INCLUDED UNDER THE PREVIOUS PARTS:

7. Central Road Fund.
8. Co-ordination and Research pertaining to Road Works.
9. Road works financed in whole or in part by the Central Government other than those in the North Eastern Region.
10. Motor vehicles legislation.

11. Promotion of Transport Co-operatives in the field of motor transport and inland water transport.

12. Formulation of the privatisation policy in the infrastructure areas of roads.

IV. AUTONOMOUS BODIES:

13. National Highways Authority of India.

V. SOCIETIES/ASSOCIATIONS:

14. National Institute of Training for Highway Engineers.

VI PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS:

15. Indian Road Construction Corporation.

VII ACTS:

16. The Road Transport Corporations Act, 1950 (64 of 1950).

17. The National Highway Act, 1956 (48 of 1956).

18. The Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988).

19. The National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988).".

A.P.J. ABDUL KALAM,
President.

[F.No. 1/22/1/2004-Cab.]

K.L. SHARMA, Dy. Secy.

2690 GI/04-2